

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 225/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-25.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 25.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- ए0एच0टी0: आजमगढ़ पुलिस ने 01 वर्ष से गुमशुदा/अपहृता 16 वर्षीय किशोरी को जनपद नवादा (बिहार) से बरामद कर परिजनों से मिलाया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा आपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चलाकर अपहृता/गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में दिनांक 24.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा सन् 2024 में जनपद आजमगढ़ के थाना बरदह में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/24 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित ग्राम चकवां थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को जनपद नवादा (बिहार) से बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया गया हैं तथा जनपद नवादा (बिहार) के रहने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश का किया गया ।

घटना क्रम-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2024 को वादी मुकदमा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर तहरीर दी गयी थी कि वादी की पोती थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र 16 वर्ष जो अपने ननिहाल में बचपन से ही वादी के घर रहकर पढाई लिखाई करती थी, दिनांक 10.05.2024 को घर से बिना बताए कहीं चली गयी है । जिसके आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 156/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना थाना बरदह से सम्पादित की जा रही थी परन्तु पीड़िता/अपहृता उपरोक्त की बरामदगी न हो सकी । तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना थाना ए0एच0टी0 जनपद आजमगढ़ को दिनांक 25.03.2025 को स्थानान्तरित की गयी ।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 24.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा थाना ए0एच0टी0 के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र 16 वर्ष को उसके के इन्स्टाग्राम आईडी से प्राप्त मोबाइल नम्बर के लोकेशन के आधार पर थाना क्षेत्र सीतामढ़ी जनपद नवादा (बिहार) से बरामद किया गया । मुकदमा पंजीकृत होने के समय पीड़िता/अपहृता उपरोक्त की उम्र 16 वर्ष थी, जो वर्तमान में नाबालिग है तथा संदिग्ध दीपक साव पुत्र स्व0 अशोक साव नि0 ग्राम नदसेना थाना सीतामढ़ी जनपद नवादा (बिहार) को पीड़िता/अपहृता उपरोक्त के साथ पकड़कर लाया गया तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर संदिग्ध दीपक साव उपरोक्त का नाम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में लाया गया । तत्पश्चात् उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये जिला कारागार आजमगढ़ भेजा गया ।

बरामदगी/गिरफ्तारी का स्थान:-

ग्राम नदसेना थाना सीतामढ़ी जनपद नवादा (बिहार) ।

अभियुक्त का नाम-

दीपक साव पुत्र स्व0 अशोक साव नि0 ग्राम नदसेना थाना सीतामढ़ी जनपद नवादा (बिहार) ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 156/24 धारा 363/366/376 भादवि व 5J(II)/6 पोक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा, उ0नि0 उमेश कुमार, का0 रोहित मिश्र, म0आ0 अर्चना तिवारी थाना ए0एच0टी0 जनपद आजमगढ़, ओ0पी0 दिनेश कुमार यादव सर्विलांस सेल आजमगढ़ ।

02. थाना- फूलपुर: किशोरी का अपहरण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 23.06.2025 को वादी थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की लड़की उम्र लगभग 16 वर्ष है, जो नाबालिग है। दि०-22.6.2025 को रात्रि में घर में सोई हुई थी, सुबह होने पर घर के अन्दर नहीं थी, तो खोजना शुरू किया, तो पता चला कि मेरी पुत्री थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बहला-फूसलाकर भगा ले गया है जो अपने साथ गहना और रूपया भी ले गयी है। नीरज द्वारा शादी करने के लिये धमकी दिया गया था शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 307/25 धारा 137(2)/87/351(3) बीएनएस दर्ज है जिसकी विवेचना उ०नि० अजय प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 25.06.2025 को उ०नि० अजय प्रताप सिंह थाना फूलपुर मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त वांछित अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र विनोद राजभर सा० धर्मदामपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को जदगीशपुर पुलिया के पास से धारा 137(2)/87/351(3) बीएनएस का अपराध करने का कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 05.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा नियमानुसार दाखिला कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. नीरज राजभर पुत्र विनोद राजभर सा० धर्मदामपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 307/25 धारा 137(2)/87/351(3) बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र विनोद राजभर सा० धर्मदामपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

क्र०सं० मु०अ०सं० धारा थाना जनपद

1 307/25 धारा 137(2)/87/351(3) बीएनएस फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- उ०नि० अजय प्रताप सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2- का० अनिल प्रसाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

3- का० अभिषेक कुमार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना- रानी की सराय: हत्या के प्रयास में बांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 15.05.2025 को आवेदक रामनयन यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव साकिन फरीदाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ने थाना रानी की सराय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 08.05.25 को शादी में बारात में वहां के कुछ लोग शराब पीकर आपस में उपद्रव करना और शादी के संस्कार में व्यवधान उत्पन्न करना, प्रार्थी ने विरोध किया और वहां से जाने के लिए कहा इसी रंजिश को लेकर दिनांक 14.05.2025 को करीब 08.00 बजे रात में वाहन सं० क्रमशः यू०पी० 50 सी.आर. 8881 व यू०पी० 50 ए.जे. 9296 से चौथियार (शादी के बाद का संस्कार) में ग्राम काजीभीटी पहुँचने पर विपक्षीयों द्वारा पूर्व से योजना बनाकर एक राय होकर राड, हाकी, बॉस का टुकड़ा लेकर एकाएक उक्त वाहन बाबूलाल यादव के घर के सामने खड़ी होते ही मां बहन की भद्दी-भद्दी गाली गुप्ता देते हुए राड, हाकी, बास के टुकड़े से जान मारने की नियत से मारना पीटना, जब तक उक्त वाहन में बैठे अमन यादव व विकास यादव कुछ समझ पाते तब तक मार पीटकर गम्भीर रूप से घायल कर देना तथा अमन यादव के सिर व शरीर चोटे आना जिससे बेहोश हो जाना और उल्टी होना तथा विकास का हाथ टूट जाना तथा शरीर में काफी चोटे आना और उक्त दोनों वाहन को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देना तथा मुल्जिमान राड, हाकी व बॉस लहराते हुए भय व आतंक का माहौल व्याप्त कर जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 136/2025 धारा 3(5),115(2), 352, 351(3), 117(2),324(4), 109 बीएनएस बनाम आदि 10 नफर प्र साकिनान काजीभीटी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू पुत्र राजाराम उपरोक्त को गिरफ्तार मा० न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 25.05.2025 को उ०नि० अमिताब चन्द मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी काजीभीटी थाना रानी की सराय, आजमगढ़ को उचागांव पुलिया के पास से समय करीब 11.50 बजे उचागाँव पुलिस से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग---

1-मु०अ०सं० 136/2025 धारा 3(5),115(2), 352, 351(3), 117(2),324(4), 109 बीएनएस थाना रानी की सराय, आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त ----

1-आकाश यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी काजीभीटी थाना रानी की सराय, आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ०नि० अमिताबचन्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2)का० हृदेश गुप्ता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़



04.थाना सरायमीर: गैगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 31.05.2025 को अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट व तहरीर प्र0नि0 बाबत् गैंग लीडर 1. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने अपने सह अभियुक्त/सदस्य 2. रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों तथा घरों व दुकानों में चोरी करने का एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर आर्थिक भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित कर रहा हैं, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम गैंग लीडर 1. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ सह अभियुक्त/सदस्य 2. रूमान पुत्र शाह आलम निवासी नन्दाव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया । दिनांक 24.06.2025 को रात्रि 23.20 बजे वांछित गैगेस्टर लीडर शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 24.06.2025 को उ0नि0 पंकज यादव हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 2000 रूपयें के साथ नहर पुलिया से समय करीब 23.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. शंकर यादव उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी रेवला नन्दाव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।

बरादमगी -

1. 1 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
2. 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
3. चोरी के सामान को बेचने के पश्चात बचे 2000 रूपया ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 289/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 46/2018 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 115/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 238/2025 धारा 3(b)(i),3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ । (वांछित)
4. मु0अ0सं0 511/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 479/2024 धारा 3(5)/305/317(2)/331(2) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 504/2024 धारा 3(5)/305/317(2)/324(4)/331(4) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 33/2014 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 278/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ । (प्रकाश में)
9. मु0अ0सं0 289/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 पंकज यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 आलोक शुक्ला,का0 विनय सरोज,का0 चन्दन कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।



05.थाना- महाराजगंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 16.06.2025 को वादी थाना कोतवाली महाराजगंज जनपद -आजमगढ़ ने थाना महाराजगंज पर लिखित तहरी दी कि दिनांक 13.06.2025 को शाम के करीब 19.30 बजे सचिन पुत्र गुलाब साँहनी सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया है , के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 115(2)/352/87/137(2) बीएनएस बनाम 1.सचिन पुत्र गुलाब साँहनी 2. गुलाब साँहनी पुत्र रामसेवक साँहनी 3. प्रवेश साँहनी पुत्र गुलाब साँहनी निवासीगण कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 अमित कुमार तिवारी द्वारा की जा रही है । दौराने विवेचना पीड़िता की बरामदगी व साक्ष्य संकलन से धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 25.06.2025 को उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त 1. सचिन पुत्र गुलाब साँहनी सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम शिवपुर बंधे से दिनांक 25.06.2025 को समय 08.15 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभि0 1. सचिन पुत्र गुलाब साँहनी सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 178/25 धारा 115(2)/352/87/137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सचिन पुत्र गुलाब साँहनी सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ गिरफ्तारी में लेने वाली टीम -

1-प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह का0 विजय कुमार



06.थाना पवई: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.06.25 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह का0 सुरेन्द्र यादव ,का0 अमित पाल,का0 राकेश गौड़ के साथ रात्रि गश्त,चेकिंग के दौरान अभियुक्त अनीस कुमार पुत्र रामासरे निवासी ग्राम उसरहा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को अवीनगर तिराहा से समय 02.45 बजे एक अदद नाजायज कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान न्यायालय जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:

1- मु0अ0सं0 184/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:—

1-अनीस कुमार पुत्र रामासरे निवासी ग्राम उसरहा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर बरामदगी-

1-एक अदद नाजायज कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा थाना पवई जनपद आजमगढ

2.का0 सुरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ

3.का0 अमित पाल थाना पवई जनपद आजमगढ

